CNR No.-UPFR010013892026

न्यायालय जिला न्यायाधीश फर्रूखाबाद।

सिविल प्रकीर्णवाद सं०-48/2026

नईम अली खाँ बनाम फारिया खान व एक अन्य

दिनांकः 09.07.2026

पत्रावली प्रस्तुत हुई। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण उपस्थित। धारा–5 मियाद अधिनियम के प्रार्थनापत्र व आपत्ति पर सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रार्थनापत्र 3 सी2 अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम मय शपथपत्र, आवेदक द्वारा मुख्यतः इस आशय से दिया गया है आक्षेपकर्ता बीमार हो जाने के कारण समयावधि के अन्दर प्रतिआक्षेप/क्रास आब्जेक्शन प्रस्तुत नहीं कर सका है। स्वस्थ होते ही उसके द्वारा प्रति आक्षेप/क्रास आव्जेक्शन तैयार करवाकर प्रस्तुत किया जा रहा है। आक्षेपकर्ता का कोई दोष नहीं है। न्यायहित में आवश्यक है कि प्रतिआक्षेप/क्रास आव्जेक्शन को प्रस्तुत करने में हुए बिलम्ब को क्षमा कर दिया जाये।

विपक्षी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत आपत्ति 11 सी2 में मुख्य रूप से कथन किये गये है कि प्रार्थनापत्र पोषणीय नहीं है। आक्षेपकर्ता कब से कब तक बीमार रहा इसका कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। आक्षेपकर्ता अपील संख्या 1/2026 को प्रस्तुत किये जाने की दिनांक 08.01.2026 को अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उक्त कैविएट प्रार्थना पत्र के परिप्रेक्ष्य में उपस्थित हुआ था और दिनांक 08.01.2026 से दिनांक 31.03.2026 तक के बिलम्ब के सम्बन्ध में कोई पर्याप्त आधार व कारण प्रार्थना पत्र में नहीं दर्शाया गया है। आक्षेपकर्ता को लगातार प्रतिपक्षी संख्या 1 द्वारा कायमगंज से फर्रुखाबाद आते जाते देखा गया है। अनुरोध किया कि प्रा०पत्र खण्डित किया जाए।

सदर मुसंरिम की आख्यानुसार प्रस्तावित निगरानी 58 दिवस विलम्ब से है।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के तर्कों के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली से विदित है कि आवेदक द्वारा सशपथ कथन किया गया है कि वह बीमार हो जाने के कारण समयावधि के अन्दर प्रतिआक्षेप प्रस्तुत नहीं कर सका, स्वस्थ्य होते ही प्रस्तुत कर रहा है जिस पर विपक्षी द्वारा सशपथ आपत्ति प्रस्तुत की गयी है कि विपक्षी को उसने दिनांक 08.01.2026 से 31.03.2026 के मध्य कायमगंज से फर्रुखाबाद फतेहगढ आते जाते देखा है, किन्तु यह सुस्थापित विधि है कि किसी भी मामले का यथासम्भव गुण दोष के आधार पर निस्तारण किया जाना चाहिए, तकनीकीपन पर ज्यादा जोर नहीं दिया जाना चाहिए। विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस तर्क का कोई खण्डन नहीं किया गया है कि प्रतिआक्षेप को प्रस्तुत करने में हुए बिलम्ब को क्षमा करने के सम्बन्ध में मियाद अधिनियम की धारा 5 आकर्षित नहीं होती है। जहाँ तक दूसरे पक्ष को हुई असुविधा का प्रश्न है, उसकी प्रतिपूर्ति उचित हर्जे से करायी जा सकती है। अतः न्यायहित में प्रार्थनापत्र 3 ग उचित हर्जे पर स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थनापत्र 3 सी2 अन्तर्गत धारा–5 परिसीमा अधिनियम अंकन 1500/–(एक हजार पाँच सौ रुपये) हर्जे पर स्वीकार किया जाता है। हर्जा अबिलम्ब अदा हो। हर्जा अदा होने के उपरान्त पत्रावली सुनवाई अंगीकरण हेतु दिनांक 13.07.2026 को पेश हो।

तदनुसार सिविल प्रकीर्णवाद संख्या–48/2026 निस्तारित किया जाता है।

दिनांकः09.07.2026

(नीरज कुमार)
जिला न्यायाधीश, फर्रूखाबाद
JO Code–UP1907

Digitally signed by NEERAJ KUMAR
Date: 2026.07.09 16:00:12 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court